हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पाँवटा साहिब द्वारा दिनांक 2/12/2023 (12:15 अपराह्न) को मैसर्स श्री जसवंत सिंह, ग्राम सलिहार तहसील खुंडियो जिला काँगड़ा हिमाचल प्रदेश की खसरा नंबर 404/162 क्षेत्रफल 02-10-73 हेक्टेयर या 25-00 बीघा मौजा मोहाल फूलपुर शमशेरगढ जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश पर रेत, पत्थर व बजरी (क्षमता 40500 टन प्रति वर्ष) हेतु खनन प्रस्ताव पर जन सुनवाई का कार्यवाही विवरण :

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पाँवटा साहिब द्वारा दिनांक 2/12/2023 (12:15 अपराह्न) को मैसर्स श्री जसवंत सिंह, ग्राम सलिहार तहसील खुंडियो जिला काँगड़ा हिमाचल प्रदेश की खनन प्रस्ताव पर जन सुनवाई बांगरन पुल के समीप ग्राम पंचायत फूलपुर तहसील पावंटा साहिब जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश में संपन्न की गई। प्रस्तावित खनन पट्टा मौजा मोहाल फूलपुर शमशेरगढ, खसरा नंबर 404/162 और कुल खनन क्षेत्र 02-10-73 हेक्टेयर (25-00 बीघा) तहसील पाँवटा साहिब, जिला सिरमौर , (हि. प्र.) भूमि पर रेत, पत्थर व बजरी खनन (क्षमता 40500 टन प्रति वर्ष) हेतु, ई. आई. ए. अधिसूचना क्रमांक 1533 दिनांक 14.09.2006 के अतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जन सुनवाई का आयोजन अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सिरमौर कि अध्यक्षता में किया गया। इस जनसुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों की सूचि अनुलग्नक-1 में उपलब्ध है। सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सिरमौर के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जनसुनवाई कि पृष्ठभूमि तथा इसके आयोजन के उद्देश्य से उपस्थित जनसमूह को अवगत करवाया गया। तत्पश्चात परियोजना प्रस्तावको एवं उनके प्रतिनिधि तकनीकी परामर्शदाता के द्वारा परियोजना के प्रारूप और विस्तृत पर्यावरण प्रभाव निर्धारण के बारे में लोगों को अवगत करवाया गया। अन्त मे कंपनी के प्रतिनिधि ने परियोजना को कार्यान्वित करने में स्थानीय जनता का सहयोग माँगा तथा उपस्थित जनसमूह के प्रति आभार व्यक्त किया। इसके बाद अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जनसुनवाई आरम्भ की गई।

क्रम संख्या	नाम व पता	उठाये गए मुद्दे	मुद्दों पर टिप्पणी
1	श्री सुखबीर ग्राम बांगरण, फूलपुर पंचायत, तहसील पाँवटा साहिब जिला सिरमौर।	इन्होने कहा कि- हमें इस परियोजना से कोई आपति नहीं है क्योकि इस से स्थानीय लोगो को रोजगार मिलेगा। परन्तु हमारी मांग है कि परियोजना प्रस्तावक स्थनीय विधवा महिलाओं व जरूरतमंद औरतो की वित्तीय सहायता करे।	परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि – CSR के तहत सामाजिक कार्यो के लिए जो धनराशि का प्रावधान है, पंचायत के साथ विचार विमर्श कर सामाजिक कार्यो में धन खर्च किया जाएगा।
2	श्री रमेश चंद ग्राम पुरूवाला, तहसील पाँवटा साहिब जिला सिरमौर।	इन्होने कहा कि- खनन पट्टा तो फूलपुर पंचायत में है परन्तु पट्टे की सीमा दूसरी पंचायत के साथ भी लगती है। अतः मेरा परियोजना प्रस्तावक से अनुरोध है कि जिन साथ लगती पंचायतो के लोग इस परियोजना से होने वाले ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण को झेलेंगे उनको भी सार्वजनिक कार्यों के लिए निशुल्क या रियायती दरों पर रेत, बजरी व पत्थर उपलब्ध करवाए जाए।	परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि – व्यक्तिगत कार्य के लिए निर्माण सामग्री को उचित दाम पर दिया जाएगा और सामूहिक कार्यों के लिए भी सहयोग किया जाएगा।

3	श्री मिंटू सिंह, ग्राम बांगरण, फूलपुर पंचायत, तहसील पॉवटा साहिब जिला सिरमौर।	इन्होने कहा कि- (i) परियोजना प्रस्तावक बताए कि वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु क्या प्रावधान किए जाएंगे क्योकि ट्रैक्टर के चलने से धूल मिट्टी उड़ती है जिससे साथ लगते खेतो में फसले ख़राब होती है। (ii) पूर्व मे भी इस प्रकार की जनसंवाईयाँ इस क्षेत्र में विभिन्न खनन परियोजनाओं की हुई है जिसमे आश्वासन दिया जाता था की स्थानीय लोगो के ट्रैक्टरो को किराय पर रखा जाएगा परन्तु बाद में स्थानीय आम लोगो के ट्रैक्टर नहीं लगाए जाते। अतः मेरा निवेदन है प्रशासन इस विषय में कुछ कार्यवाही करे। (iii) प्राय यह पाया गया है कि खनन पट्टा संचालक अपनी निर्धारित खनन पट्टे से खनिज न उठा कर अपितु नदी तल से जहां-तहाँ से माल उठा लेते है जिस से बरसातों में नदी किनारों से भूमि कटाव होता है और नदी पर बने पुल और साथ लगते बांगरण गांव की जमीन को खतरा हो जाता है। अतः मेरा आग्रह है की परियोजना प्रस्तावक केवल अपनी ही निर्धारित खनन पट्टा क्षेत्र से खनिज उठाये और जहां नदी किनारो का कटाव हो रहा है वहाँ पक्के डंगे बनाये जाए।	परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि - धूल उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए पहुँच मार्ग पर जल छिड़काव किया जाएगा तथा माल ढुलान में उपयोग हो रहे ट्रैक्टरो को ढक कर परिवहन किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय व अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सिरमौर ने कहा कि - स्थानीय लोग जो कि अपने ट्रैक्टर परियोजना के अंतर्गत किराय पर लगाना चाहते है एक सूचि बना ले तथा स्थानीय पंचायत व प्रशासन के साथ साझा करे ताकि इस समस्या का समाधान किया जा सके। परियोजना प्रस्तावक ने आश्वासन दिया कि खनन कार्य निर्धारित खनन पट्टा क्षेत्र से ही किया जायेगा। साथ ही क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिया कि CSR के तहत खनन पट्टा क्षेत्र के साथ लगते नदी का तटबंधीकरण स्थानीय पंचायत के साथ परामर्श द्वारा किया जाए।
4	हरीश सैनी, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत नवादा।	इन्होने कहा कि – बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जिस से प्राय भूमि कटाव का खतरा बना रहता है। वर्षो पूर्व जब इस क्षेत्र में खनन कार्य नहीं होते थे तब भी बाढ़ के कारण कई बार हज़ारो बीघा भूमि बाढ़ के कारण बह गई थी। परन्तु जब से क्षेत्र में पक्के मकान बनने लगे और नदियों से खनन कार्य किया जाने लगा तो भूमि कटाव कम होने लगा है क्योंकि अब खनन होने से नदी प्रवाह मार्ग खुला रहता है और नदी अपना रास्ता नहीं बदलती। साथ ही मेरा आग्रह है कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फण्ड जो पंचायतो को दिया जाता है वह उन्ही पंचायतो को दिया जाए जहां पर खनन पट्टा है और इस फण्ड का उपयोग नदी के तटबंधीकरण के लिए भी किया जा सकता है।	

5	श्री श्याम लाल सैनी ग्राम पंचायत नवादा, तहसील पॉवटा साहिब जिला सिरमौर।	इन्होने कहा कि – इस परियोजना मे स्थानीय लोगों को ही रोजगार दिया जाए, हमारा अन्य कोई विरोध नहीं है।	परियोजना प्रस्तावक ने आश्वासन दिया कि स्थानीय लोगों को ही रोजगार में योग्यता के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी।

....

तदोपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी लोगो से निसंकोच परियोजना के सन्दर्भ मे अपने विचार / सुझाव / आप्पतियाँ प्रकट करने का आह्वान किया गया। जनसुनवाई के समापन से पूर्व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पॉवटा साहिब के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जनता को आश्वासन दिया गया कि उठाए गए सभी मुद्दों, सुझावो, विचारो और टिप्पणियों को नोट किया गया है एवं इस जनसुनवाई की कार्यवाही को कलमबध कर आगामी कार्यवाही के लिए भेज दिया जाएगा। अंत मे जनसुनवाई के समापन पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सिरमौर द्वारा सभी का धन्यवाद एवं आभार प्रकट किया गया। उपस्थित लोगों द्वारा दिए गए सुझावों पर यदि अमल हो व खनन कार्य नियमो /मापदंडो का पालन करते हुए किया जाए तो लोगों को इस परियोजना के लगने एवं चलने से कोई आपत्ति नहीं है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए जनसुनवाई सफल रही।

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सिरमौर
नाहन,जिला सिरमौर (हि. प्र.)